भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3222

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

अधिकरणों का विलय

3222. डॉ. निशिकांत दुबे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कितने अधिकरण कार्य कर रहे हैं ;

(ख) देश में विभिन्न अधिकरणों के विलय के संबंध में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या ये अधिकरण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा/सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : उपलब्ध अभिलेख के अनुसार सूचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग का नाम**	**अधिकरण/अपील अधिकरण का नाम**
1	विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	आय-कर अपील अधिकरण
2	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)
		राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी)
3	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी)

4	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)
5	रेल मंत्रालय	रेल दावा अधिकरण
6	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी)
		अपील अधिकरण (एसएएफईएमए)
7	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)
		ऋण वसूली अपील अधिकरण (डीआरएटी)
8	रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय	सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी)
9	दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	दूरसंचार विभाग निपटारा और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी)
10	विद्युत मंत्रालय	विद्युत अपील अधिकरण
11	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रतिभूति अपील अधिकरण (एसएटी)
12	उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीआरडी)
13	श्रम और रोजगार मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी)

(ख) से (घ) : अधिकरण सुधार के पहले चरण के दौरान विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से अधिकरणों का विलय किया गया था । इसके पश्चात् इस संबंध में आगे प्रगति का कार्य राजस्व विभाग को न्यस्त किया गया है । तदनुसार, चलचित्र अधिनियम, 1952, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999, पादप किस्मों और काश्तकारों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2021 का संशोधन करने के लिए 04.04.2021 को प्रशासनिक सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 प्रख्यापित किया गया था और चलचित्र अधिनियम, 1952, आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन विनिर्णय के लिए प्राधिकरण, विमानपत्तन अपील अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड और पादप किस्म संरक्षण अपील अधिकरण को समाप्त करने के लिए और भारत सरकार के विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष/सभापति और सदस्यों के लिए सेवाओं के निबंधनों और शर्तों में एकरूपता लाने का उपबंध करने के लिए कतिपय अन्य अधिनियम प्रख्यापित किए गए हैं ।

अधिकरण सुधार विधेयक संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और उस पर तारीख 13.08.2021 को राष्ट्रपति द्वारा सहमति मिली थी । उक्त विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का कथन के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि पिछले तीन वर्ष के आंकड़ों के अनुसार यह देखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के अधिकरणों ने आवश्यक रूप से त्वरित न्याय का प्रदान नहीं किया है और उन पर राजकोष से प्रचुर व्यय भी होता है । इसलिए अधिकरणों को सुव्यवस्थित किया जाना आवश्यक समझा गया था जिससे राजकोष पर प्रचुर व्यय को बचाया जा सके साथ ही साथ त्वरित न्याय प्रदान किया जा सके ।

****